न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज, जिला बारां, राज0
पीठासीन अधिकारी चंदन दुबे (आर.ए.एस.)

(42)

प्रकरण सं0 11/17
संस्थित दिनांक 01.03.2017
निर्णय दिनांक 28.08.2019

बउनवान

1 भूली बाई उम्र 56 वर्ष पत्नी स्व0 गोबरीलाल जाति सहरिया निवासी मिसाई तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0)

बनाम

वादी

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगंज जिला बारां (राज0)

प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,90,92ए188, आरटी एक्ट

निर्णय

दिनांक :–28.08.2019

वादीया ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89,9,92ए,188,आर0टी0एक्ट जरिये अभिभाषक श्री एन0गोयल ने इस आशय का पेश किया कि–

1 यह कि वाकेग्राम मिसाई पटवार हल्का रानीबडौद तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0) मे आराजी खेवट खतौनी संख्या नई 42 पुरानी 38 ख0न0 446/15 रकबा 4.10 बीघा किस्म बारानी तृतीय लगानी 1.80 रू0, ख0न0 622/446 रकबा 5.10 बीघा किस्म बारानी तृतीय लगानी 2.20रू0 कुल किता 2 कुल रकबा 10 बीघा भूमि स्थित है जिसको वाद पत्र मे वादग्रस्त आराजियात् के नाम से सम्बोधित किया गया है।

2 यह कि वादग्रस्त आराजियात् वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड मे वादिया के पति गोबरीलाल पुत्र रघुनाथ जाति धाकड के नाम दर्ज हैं वादिया के गोबरीलाल के द्वारा आज से 29 वर्षो पूर्व वादिया से जातीय विवाह किया था। विवाह के समय वादिया का पति गोबरीलाल अविवाहित था क्योकि गोबरीलाल की धाकड समाज मे शादी नही हुई थी। इस कारण वादग्रस्त आराजी के खातेदार गोबरीलाल द्वारा वादिया से जातीय विवाह किया था। गोबरीलाल व वादिया पति–पत्नी के रूप मे 21 वर्षो तक साथ–साथ रहे। वादिया व गोबरीलाल के नुफते से दो पुत्र मेघराज व नरेन्द्र हुये जो दोनो पुत्र वर्तमान मे फोत हो चुके है तथा वादिया के पति वादग्रस्त आराजी के खातेदार गोबरीलाल भी दिनांक 30.09.2008 को फौत हो चुके है वादिया ही वादग्रस्त आराजी के खातेदार गोबरीलाल पुत्र रघुनाथ जाति धाकड की एक मात्र वारिस एवं कायम मुकामान होने के कारण वादग्रस्त आराजी पर वादिया स्वयं को वादिया के पति गोबरीलाल के स्थान पर खातेदार घोषित करवाने की अधिकारी एवं नालिशी है।

3 यह कि वादग्रस्त आराजियात् पर वादिया के पति गोबरीलाल की जाति धाकड होने से राजस्व रिकॉर्ड मे धाकड दर्ज है।परन्तु वादिया की जाति सहरिया है इस कारण वादिया के राशनकार्ड, जॉब कार्ड मे वादिया की जाति सहरिया दर्ज है। वादिया के पति के रूप मे गोबरीलाल का नाम दर्ज है कानून अन्तरजातिय विवाह वैद्य होने के कारण वादिया वादग्रस्त आराजी के खातेदार गोबरीलाल पुत्र रघुनाथ जाति धाकड की वैधानिक पत्नी होने के कारण एक मात्र वारिस होने से वादिया स्वयं को वादग्रस्त आराजियात् की खातेदार घोषित करवाने की अधिकारी एवं नालिशी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Kumar Mittal
Date: 2020.12.22 16:50:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

4. यह कि वादग्रस्त आराजियात् पर वादिया के पति गोबरीलाल के जीवनकाल मे वादिया का पति गोबरीलाल व उनके देहान्त के पश्चात वादिया उक्त वादग्रस्त आराजियात् पर काबिज काश्त करती चली आ रही है। वर्तमान मे भी वादिया का ही कब्जा है। वादिया द्वारा प्रतिवादी से वादिया के पक्ष मे वादग्रस्त आराजियात् वादिया के पति गोबरीलाल के स्थान पर इंतकाल खोलकर वादिया का नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज करने हेतु निवेदन किया परन्तु प्रतिवादी ने आज दिन तक भी वादिया का नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज नही किया वरन दावा करने की सलाह दी।

5. यह कि वादिया द्वारा राजस्थान सरकार को अन्तर्गत धारा 80सीपीसी को नोटिस दिनांक 20.12.2016 को अवधि 2 माह का जर्ये जिला कलक्टर महोदय बारां को प्रेषित किया जा चुका है परन्तु वाद आवश्यक प्रकृति का होने से अन्तर्गत धारा 80(2) सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है।

6. यह कि वाद कारण प्रतिवादी द्वारा इन्तकाल खोलकर वादिया का नाम वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज नही होने पर व दावा करने की सलाह देने पर व राजस्थान सरकार को जर्ये जिला कलक्टर महोदय बारां के दिनांक 20.12.2016 को अन्तर्गत धारा 80 सीपीसी का नोटिस प्रेषित करने पर वाद कारण दिनांक 20.12.2016 को उत्पन्न हुआ।

7. यह कि वादग्रस्त आराजी माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार मे स्थित है इस कारण माननीय न्यायालय को इस वाद का श्रवणाधिकार है। इस कारण वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार मे उचित न्यायशुल्क पर प्रस्तुत है।

8. यह कि राजस्थान सरकार को सर्वोच्च भूस्वामी होने के कारण आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार वनाया है।

अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादिया स्वीकार फरमाया जाकर बहक वादिया लाफ प्रतिवादी इस आशय की डिक्री सादिर पारित फरमायी जाकर वादिया को विवादित राजी वाकेग्राम मिसाई पटवार हल्का रानीबडौद तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0) मे थत ख0न0446/15 रकवा 4.10 बीघा, ख0न0 622/446 रकवा 5.10 बीघा कुल किता 2 ल रकवा 10 बीघा वर्णित मद नं0 1 वादपत्र पर खातेदार घोषित किया जाकर वादिया का म विवादित आराजी के खातेदार मृतक गोबरीलाल के स्थान पर राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज किये ने के आदेश प्रदान करे। अन्य न्यायोचित सहायता वादिया को प्रदान की जावे।

रिपोर्ट सरिस्ता ली गई, प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की लबी हेतु नोटिस सम्मन जारी किया। नियत तिथि को प्रतिवादी स्वयं उपस्थित प्रतिवादी ने यत तिथि को जवाब पेश नही किया प्रतिवादी पेरोकार सरकार को पर्याप्त अवसर दिये जाने उपरान्त जवाब पेश नही किया प्रतिवादी का जवाब बन्द किया गया। वादी अधि0 ने क्ष्यवादी मे pw-1 भूली बाई, pw-2 गोबरी बाई, pw-3 जगमोहन के बयान लेखबद्ध रवाये दौराने साक्ष्यवादी pw-1 भूली बाई ने जाहिर किया कि–

हमारी भूमि ग्राम मिसाई मे 10 बीघा है। इस पर मेरा ही कब्जा चला आ रहा है। र्तमान यह भूमि मेरे पति गोबरी लाल पुत्र रघुनाथ जाति धाकड के नाम दर्ज है। मेरे व मेरे ति गोबरी से अर्न्तजातिय विवाह 29 वर्ष पूर्व हुआ था। मैं व मेरे पति शादी के बाद साथ-साथ रहे वैवाहिक जीवन व्यतीत किया हमारे नुक्ते से मेघराज एवं नरेन्द्र दो पुत्र हुये जो बिमारी के कारण फोत हो चुके है। मेरे पति भी दिनांक 30.09.2008 को बिमारी से फोत हो गये। मेरे पति गोबरीलाल की जाति धाकड होने से राजस्व रिकॉर्ड मे उनकी जाति धाकड र्ज है। मेरी जाति सहरिया है। इस कारण राशनकार्ड,जॉबकार्ड में जाति सहरिया है। और तदाता पहचान पत्र,राशनकार्ड,जॉबकार्ड मे मेरे पति गोबरीलाल का नाम दर्ज है। मैं उक्त गोबरीलाल की एक मात्र वारिस हूँ। मैं तहसील मे भी इन्तकाल खुलवाने हेतु गयी वहाँ मुझे श्रीमान् न्यायालय मे खातेदार घोषित करने हेतु दावा करने को कहा। अतः श्रीमान् मुझे मेरे

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Kumar Mittal
Date: 2020.12.22 16:50:50 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with CamScanner

ी की विवादित आराजी का खातेदार घोषित किया जावे। मैने नकल जमाबन्दी सम्वत 70–73 पेश की है जो प्रदर्श P-1 है। मेरा आधार कार्ड असल P-2 है जिसकी फोटो प्रति P2A है। पहचान पत्र असल प्रदर्श P-3 है। फोटो प्रति प्रदर्श P3A है। मेरा जॉबकार्ड र्श P-4 है। फोटोप्रति प्रदर्श P4A है। मेरा राशनकार्ड प्रदर्श P5 है। फोटोप्रति प्रदर्श P5A ाना राशन कार्ड प्रदर्श P6 है। फोटोप्रति प्रदर्श P6A है। मृत्यु प्रमाण पत्र मेरा पति बरीलाल पुत्र रघुनाथ जाति धाकड का प्रदर्श P7 है। मैने सरकार को नोटिस 80सीपीसी या है। जो प्रदर्श P8 है। जिसकी डाक रसीद प्रदर्श P9 है। ग्राम पंचायत व ग्राम वासियों साई द्वारा जारी पंचनामा प्रदर्श P10 है।

वादी अधि0 और साक्ष्य पेश नही करना चाहते वादी अधिवक्ता की साक्ष्य समाप्त की ाती है। प्रतिवादी पेरोकार सरकार ने प्रतिवादी साक्ष्य मे कई अवसर दिये अवसर दिये जाने उपरान्त भी साक्ष्य प्रतिवादी पेश नही की प्रतिवादी की साक्ष्य प्रतिवादी समाप्त की जाती । वादी अधिवक्ता की बहस सूनी गई। दौराने बहस वादी अधिवक्ता वादपत्र मे अंकित न्दूओं को दोहराया और निवेदन किया कि विवादित आराजी के खातेदार मृतक गोबरीलाल स्थान पर राजस्व रिकॉर्ड मे प्रार्थीया का नाम दर्ज किया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली मे उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गहनता से अध्ययन किया। उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 8,89,9,92ए,188,आर0टी0एक्ट स्वीकार योग्य है। अतः इस आशय का निर्णय पारित किया जाता है कि –

–:क्रियात्मक आदेश:–

वाकेग्राम मिसाई पटवार हल्का रानीबडौद तहसील किशनगंज जिला बारां की आराजी खेवट खतोनी संख्या नई 42 पुरानी 38 ख0न0 446/15 रकबा 4.10 बीघा,ख0न0 622/446 रकबा 5.10 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 10 बीघा पर वादिया को खातेदार घोषित किया जाता है। वादिया का नाम खातेदार मृतक गोबरीलाल के स्थान पर वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार किशनगंज को दिये जाते है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 28.08.2019 को सरेइजलाज सुनाया गया।

(चन्दन दुबे)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगंज
उपखण्ड अधिकारी
किशनगंज, जिला बारां (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगंज बारां (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Kumar Mittal
Date: 2020.12.22 16:50:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner